

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक-421 /FP/UK/ROAD/29011/2017 :देहरादून: दिनांक: 12 अगस्त, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत डीडिहाट-आदिचौरा पी0डब्लू0डी मोटर मार्ग से हुनेरा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.21 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक-08बी/यू0सी0पी0/06/37/2019/एफ0सी0/1282, दिनांक:-13.09.2019 (प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी। उपरोक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक-403/13-2(1) दिनांक 30.07.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र. सं0	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to compliance to no. 01. Nodal officer has not mentioned about mutation of proposed CA land. State Government may submit the details of mutation with original copy of Khatauni.	DFO mentioned that the mutation has already done. Details of mutation with original copy of Khatauni is attached with this reply. (Enclosure-I)
2	As per the direction given in guideline 2.4(i). State Government is required to notify the CA area (Civil Land) as Reserve Forest/Protected Forest Prior to stage-II approval.	DFO mentioned that the nature of CA land is of Protected Forest, Certificate from competent authority is attached with the reply.
3	State Government may submit the CA scheme of Rs. 50,33,239/- based on which the amount is released.	DFO mentioned that the CA scheme of Rs. 50,33,239.00 is attached with this reply. (Enclosure-II)

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- / FP/UK/ROAD/29011/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, डीडीहाट।

(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।